न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 29/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/125

अपीलाण्ट्स :—
बाबूराम पुत्र श्री जवान जाति मेघवाल निवासी— ग्राम कूरना, तहसील पाली, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. भेराराम पुत्र श्री भीकाराम जाति मेघवाल निवासी— ग्राम कूरना, तहसील पाली, जिला पाली।
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री तुलसाराम, जाति राईका देवासी निवासी ग्राम ढोला जागीर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव
रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— **20.01.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम कूरना के खसरा संख्या 792/4 रकबा 0.1862 हैक्टेयर में तहसीलदार, पाली के आदेश क्रमांक 171038 दिनांक 01.03.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मदन दास वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पो. संख्या 02 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी वक्त बहस उपस्थित आये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कूरना, तहसील पाली के खसरा नम्बर 793/1 खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने हेतु आने जाने का एक मात्र रास्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 792/4 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से उत्तरी—पश्चिमी माठ के सहारे—सहारे 30 फीट चौडा कदीमी रास्ता पुराना था रहा एवं आज भी मौके पर विद्यमान है का उपयोग अपीलाण्ट करता आ रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त रास्ते से होकर अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य कर मौके पर खडाई कर रखी है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता का इन्द्राज नहीं होन से एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा बार—बार उक्त रास्ता अवरूद्व करते रहने से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 792/4 में से अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 793/1 में कृषि कार्य हेतु आने—जाने का रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा वगैरह में इन्द्राज करने निस्बत् नियमानुसार एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आर.टी.ए. 1955 के तहत

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

उपखण्ड अधिकारी, पाली के न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने पेश किया। उक्त प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कूरना से तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 के अवलोकन से भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 792/4 की उत्तरी–पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 793/1 में कृषि कार्य हेतु आने–जाने का रास्ता होना साबित है एवम् उक्त मौका रिपोर्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 01 मय अपीलाण्ट की मौजूदगी में तैयार उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित दर्ज है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 792/4 को अवासीय इकाई हेतु कृषि से अकृषि कार्य प्रयोजनार्थ नियम 2007 के तहत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना–पत्र एवं मौके की वास्तविक एवं भौतिक स्थिति के विपरीत पटवारी हल्का कूरना द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत मौका रिपोर्ट एवं चैक मीमो के आधार पर बिना अपीलाण्ट को नोटिस देकर जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट की रास्ते सहित भूमि को आवासीय इकाई हेतु संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 171038 दिनांक 01.03.2024 अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील में वर्णित आराजी में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 793/1 में कृषि कार्य हेतु आने–जाने का एकमात्र पुरानी कदीमी रास्ता मौके पर विद्यमान होते हुये आदेश जैर अपील के पूर्व अदालत मातेहत द्वारा प्रभावी पक्षकार अपीलाण्ट को जवाब शहादत सुनवाई का नोटिस देकर अवसर नहीं दिया गया जो सुनवाई के प्राकृतिक सिद्धान्तों की मंशानुसार आज्ञापक था वो है जिस सुनवाई के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश void ab initio & nunest व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन का करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा को तहसीलदार पाली द्वारा जैर रूपान्तरण आदेश को पारित करने में की गई त्रुटियों का परीक्षण करने का ही क्षेत्राधिकार है परन्तु अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र में रास्ते के विवाद की आड़ में जैर रूपान्तरण आदेश को चुनौती दी है। अगर अधिवक्ता अपीलाण्ट को रास्ते की भूमि का विवाद है तो उसे सिविल न्यायालय में चुनौती दिये जाने का अधिकार प्राप्त है। अतः अधिवक्ता अपील–अपीलाण्ट बिना विधिक आधारों एवं सारहीन होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम भूमि रूपान्तरण आदेश ग्राम कूरना के खसरा संख्या 792/4 रकबा 0.1862 हैक्टेयर जो कि दिनांक 01.03.2024 को जारी किया गया है को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रमुखतया इस आधार पर अपील पेश की गई है कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 793/1 में जिनका रास्ता विवादित भूमि से होकर जाता है तथा उसके उत्तरी–पश्चिमी दिशा में विवादित आराजी संख्या 792/4 का सम्पूर्ण रकबे का रूपान्तरण कर दिया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि जैर रूपान्तरण आदेश दिनांक 01.03.2024 को पारित किया गया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा एक वाद/आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ते का दिनांक 19.03.2024 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा जैर रूपान्तरण आदेश को निरस्त किये जाने हेतु प्रमुखतया

Scanned with ACE Scanner

यह आधार लिया गया है कि पूर्व में विवादित भूमि में हमारा रास्ता स्थित था जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर विवेचन किया गया है। जैर रूपान्तरित आदेश को सिर्फ इस आधार पर निरस्त कर दिया जाना कि विवादित रूपान्तरित भूमि में कोई रास्ता स्थित था यह विधिक आधार नहीं है। विशेष रूप से तब जबकि जैर रूपान्तरण आदेश के पश्चात् आवेदक अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि में से रास्ता लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा उक्त रास्ता ही इस भूमि हेतु उपलब्ध है अथवा अन्य वैकल्पिक रास्ता भी नियमानुसार उपलब्ध हो सकता है अथवा यही रास्ता एकमात्र विकल्प है, यह अब सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स सभी उक्त वाद में, जो कि अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, पाली के न्यायालय में विचाराधीन है, तो इन परिस्थितियों में सिर्फ विवादित रूपान्तरित भूमि में रास्ता माने जाने का विश्लेषण न्यायालय हाजा के स्तर पर किया जाना समीचीन नहीं है। न्यायालय, सहायक कलक्टर पाली में धारा 251–ए के वाद में विनिश्चयन होगा कि रूपान्तरित भूमि 792/4 में से होकर ही रास्ता था अथवा दिया जा सकता था। इस स्तर पर रूपान्तरित आदेश को सिर्फ इस आधार पर निरस्त किये जाने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं है। यह अपील अपरिपक्व स्तर पर प्रस्तुत की गई है क्योंकि रास्ते का विधिक निर्णय सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। तद्नुसार हम इस स्तर पर जैर रूपान्तरित आदेश को अपास्त किया जाना उचित नहीं समझते है साथ ही अगर रास्ते बाबत् सक्षम न्यायालय के निर्णय की फाईंडिंग्स के आधार पर अपीलाण्ट चाहे तो पुनः अपील प्रस्तुत कर सकते है। वर्तमान में हम उक्त रूपान्तरण आदेश दिनांक 01.03.2024 में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते है। लिहाजा अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **20.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner